फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मैसर्स कारवां रिसोर्ट प्रो. दीपश्री माथुर निवासी माथुर फार्म हाऊस वगैरा
बनाम
बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सैंती, चित्तौड़गढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रकरण संख्या 25/2019 (रै.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2019	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 18.09.2018 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बताई जा रही राशि जमा करा दी है उनके जिम्मे नोटिस में वर्णित कोई राशि बकाया नहीं है। उक्त प्रकरण में दिनांक 05.03.2019 को पेशी नियत थी और अधिवक्ता उपस्थित हुए जानकारी करने पर पता चला की प्रकरण में प्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर बिना सुने विपक्षी बैंक का आवेदन स्वीकार कर लिया जबकि प्रार्थीगण की तरफ से जमा राशि की रसीदें पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी कोई विचार नहीं किया। अतः दिनांक 05.03.2019 को पारित एक तरफा आदेश एवं निर्णय में पारित आदेश को निरस्त फरमा पुनः पत्रावली नम्बर पर दर्ज कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण का ऋण खाता एनपीए होने के पश्चात् सरफेसी एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत विपक्षी से वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक भी सम्पूर्ण ऋण राशि मय अनइम्प्यालड इन्टरेस्ट एवं मय हर्जे खर्चे के जमा नहीं करवाई है तथा वसूली की कार्यवाही को विलम्ब करने की नीयत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है तथा सरफेसी एक्ट, 2002 के प्रावधानों के विपरीत होने से खारीज फरमाया जावे। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण का ऋण खाता एन. पी. ए. हो जाने से बैंक द्वारा अपनी ऋण राशि प्रार्थीगण से वसूली हेतु इस न्यायालय में सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत ऋणी/प्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। यद्यपि सरफेसी एक्ट, 2002 में यदि बैंक द्वारा ऋणी को धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया है तो न्यायालय हाजा द्वारा सीधे ही बंधक सम्पत्ति का कब्जा	

....लगातार

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिलाने का धारा 14 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है फिर भी इस न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर प्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी कर अपना पक्ष रखे जाने हेतु न्याय हित में अवसर प्रदान किया गया किन्तु दिनांक 05.03.2019 को प्रार्थीगण तथा उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए बैंक का आवेदन स्वीकार कर सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत ऋणी द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के आदेश पारित किए गए जो कि विधि–सम्मत् है। सरफेसी एक्ट, 2002 के तहत इस न्यायालय को सुनवाई के कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है मात्र सीधे ही धारा 14 के तहत बन्धक सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के आदेश दिए जाने के ही अधिकार है। अतः प्रार्थीगण को इस न्यायालय स्तर पर कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण यदि कोई राहत प्राप्त करना चाहता है तो वह डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डी. आर. टी.) में आवेदन प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकता है। निष्कर्षतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा. दी. स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

शिवांगी स्वर्णकार
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official